OPEN ACCESS

Int. Jr. of Contemp. Res. in Multi. *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 5 Issue 1 [Jan- Feb] Year 2026*

Research Article

भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों की स्थापना में डॉ. बी. आर. अंबेडकर की भूमिका: एक अध्ययन

डॉ. स्वदेश कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, आगरा कॉलेज, आगरा उत्तर प्रदेश , भारत

Corresponding Author: *डॉ. स्वदेश कुमार

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19034368

सारांश

भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक संरचनाओं, सामाजिक परंपराओं और सांस्कृतिक मान्यताओं से प्रभावित रही है। लंबे समय तक महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्रों में सीमित अवसर प्राप्त हुए, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर बनी रही। आधुनिक भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण की दिशा में डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों को अपने सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का आधार बनाया और महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए संवैधानिक उपायों को अत्यंत आवश्यक माना।

भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या लिंग से संबंधित हों। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के माध्यम से महिलाओं को समानता और समान अवसर का अधिकार प्रदान किया गया तथा लैंगिक भेदभाव को असंवैधानिक घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य के नीति निदेशक तत्वों में महिलाओं के लिए समान वेतन, मातृत्व सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे प्रावधान शामिल किए गए। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों की स्थापना में डॉ. बी. आर. अंबेडकर की भूमिका का विश्लेषण करना है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि ने भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की मजबूत नींव रखी।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 08-01-2026
- **Accepted:** 25-02-2026
- **Published:** 28-02-2026
- **IJCRM:**5(1); 2026: 891-894
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

डॉ. स्वदेश कुमार. भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों की स्थापना में डॉ. बी. आर. अंबेडकर की भूमिका: एक अध्ययन. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(1): 891-894.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मूल शब्द: अंबेडकर, भारतीय संविधान, महिला अधिकार, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता

© 2026 डॉ. स्वदेश कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

परिचय

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से सामाजिक संरचनाओं, धार्मिक मान्यताओं और आर्थिक व्यवस्थाओं से प्रभावित रही है। लंबे समय तक महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित रखा गया, जिसके कारण उनकी स्थिति पुरुषों की तुलना में कमजोर बनी रही। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था ने महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों को सीमित किया। परिणामस्वरूप महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी भी सीमित रही [1]।

प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को अपेक्षाकृत सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने, वैदिक अध्ययन करने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अवसर मिलता था। किंतु समय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण महिलाओं की स्वतंत्रता धीरे-धीरे सीमित होती गई। इससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में गिरावट आने लगी [2]।

मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई। इस काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा और शिक्षा से वंचित होने जैसी सामाजिक समस्याएँ व्यापक रूप से दिखाई देती थीं। इन सामाजिक प्रथाओं ने महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर बना दिया और उनके सामाजिक विकास को बाधित किया। परिणामस्वरूप महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी भी सीमित हो गई [3]।

उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में भारतीय समाज में सामाजिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ। इन आंदोलनों का उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक स्थिति और अधिकारों में सुधार करना था। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। इन प्रयासों ने भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई [4]।

इन सामाजिक सुधार आंदोलनों के परिणामस्वरूप महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक भागीदारी के महत्व को स्वीकार किया जाने लगा। विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा और सामाजिक समानता जैसे मुद्दे सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बने। इससे महिलाओं के अधिकारों के विकास के लिए एक सामाजिक आधार तैयार हुआ। यह परिवर्तन आधुनिक भारत में महिला अधिकार आंदोलन की नींव बना [5]।

बीसवीं शताब्दी में डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के प्रश्न को सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ा। उन्होंने महिलाओं की समानता को एक न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला माना। उनके अनुसार किसी भी समाज की प्रगति का वास्तविक मापदंड उस समाज में महिलाओं की स्थिति से निर्धारित होता है [6]।

डॉ. अंबेडकर ने महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उनका विचार था कि शिक्षा के माध्यम से महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकती हैं और समाज में समान भागीदारी सुनिश्चित कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के प्रसार पर विशेष बल दिया और इसे सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन बताया [7]।

भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. अंबेडकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों। इसमें महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया। यह भारतीय लोकतंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था [8]।

संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। यह प्रावधान महिलाओं और पुरुषों के बीच कानूनी समानता सुनिश्चित करता है और राज्य को किसी भी प्रकार के भेदभाव से रोकता है। इस प्रकार यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार बनता है [9]।

अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। इसके साथ ही राज्य को महिलाओं और बच्चों के हित में विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार भी दिया गया है। यह प्रावधान महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है [9]।

अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देता है। इसके माध्यम से महिलाओं को सरकारी सेवाओं और अन्य रोजगार क्षेत्रों में समान भागीदारी का अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रावधान ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई [10]।

राज्य के नीति निदेशक तत्वों में महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 39 में पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत स्थापित किया गया है। यह प्रावधान आर्थिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है [11]।

अनुच्छेद 42 के अंतर्गत महिलाओं के लिए मातृत्व राहत और कार्यस्थल पर मानवीय परिस्थितियों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं के श्रम अधिकारों की रक्षा करना और कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है [11]।

इन संवैधानिक प्रावधानों ने भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्रों में नए अवसर प्राप्त हुए। इससे भारतीय समाज में लैंगिक समानता की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे [12]।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों की स्थापना में डॉ. बी. आर. अंबेडकर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनकी संवैधानिक दृष्टि ने भारतीय लोकतंत्र को समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचार आज भी महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं [13]।

शोधपत्र एवं परिकल्पना

प्रस्तुत शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों की स्थापना में डॉ. बी. आर. अंबेडकर की भूमिका का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि अंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि और विधायी प्रयासों ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया। इसके माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के विकास में उनके योगदान का व्यापक मूल्यांकन किया गया है। साथ ही यह भी देखा गया है कि संविधान में

© 2026 डॉ. स्वदेश कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

शामिल प्रावधानों ने महिलाओं के सामाजिक और कानूनी सशक्तिकरण में किस प्रकार योगदान दिया [6]।

यह अध्ययन मुख्यतः ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। इसमें भारतीय संविधान, संविधान सभा की बहसों, डॉ. अंबेडकर के लेखन और विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकों एवं शोध लेखों का अध्ययन किया गया है। इन स्रोतों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार यह अध्ययन महिलाओं के अधिकारों के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने में सहायता करता है [1]।

इस शोध में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में संविधान सभा की बहसें, अंबेडकर के भाषण और उनके लेखन शामिल हैं। द्वितीयक स्रोतों में विभिन्न विद्वानों की पुस्तकें, शोध लेख और सरकारी दस्तावेज शामिल किए गए हैं। इन सभी स्रोतों के आधार पर महिलाओं के अधिकारों के विकास में अंबेडकर के योगदान का विश्लेषण किया गया है [7]।

अध्ययन में भारतीय संविधान के उन प्रावधानों का विशेष रूप से विश्लेषण किया गया है जो महिलाओं के अधिकारों से संबंधित हैं। इनमें समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय से जुड़े अनुच्छेद शामिल हैं। इन प्रावधानों ने महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी के क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान किए। इस प्रकार संविधान ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान किया [9]।

इसके अतिरिक्त इस शोध में नीति निदेशक तत्वों का भी विश्लेषण किया गया है। इन तत्वों के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। समान वेतन, मातृत्व सुरक्षा और सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन प्रावधानों ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई [10]।

इस शोधपत्र की पहली परिकल्पना यह है कि डॉ. बी. आर. अंबेडकर के संवैधानिक प्रयासों ने भारतीय महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान किया। संविधान में समानता और स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इन प्रावधानों ने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान किए [8]।

दूसरी परिकल्पना यह है कि अंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि ने भारतीय समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में महिलाओं के अधिकारों की स्पष्ट रूप से रक्षा की जाए। इस दृष्टिकोण ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक दीर्घकालिक आधार तैयार किया [6]।

तीसरी परिकल्पना यह है कि भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों ने महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन तत्वों ने राज्य को महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए नीतियाँ बनाने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए [11]।

चौथी परिकल्पना यह है कि भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों की स्थापना में डॉ. अंबेडकर की भूमिका निर्णायक रही। उन्होंने संविधान के माध्यम से महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार प्रदान किए। इन अधिकारों ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया [12]।

इन परिकल्पनाओं की पुष्टि के लिए ऐतिहासिक और विधायी दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि ने महिलाओं के अधिकारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचारों ने भारतीय समाज में लैंगिक समानता के प्रति नई चेतना उत्पन्न की [13]।

चर्चा एवं निष्कर्ष

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं की समानता को सामाजिक न्याय का अनिवार्य अंग माना और संविधान में इसे सुनिश्चित करने का प्रयास किया। संविधान के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त हुए [8]।

संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 ने महिलाओं को कानूनी समानता प्रदान की। इन प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हुए और लैंगिक भेदभाव को असंवैधानिक घोषित किया गया। इससे महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई [9]।

राज्य के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा दिया गया। समान वेतन और मातृत्व सुरक्षा जैसे प्रावधान महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इन प्रावधानों ने महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया [10]।

अंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में महिलाओं के अधिकारों की स्पष्ट रूप से रक्षा की जाए। इससे महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ [6]।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि अंबेडकर के विचारों ने भारतीय समाज में लैंगिक समानता के प्रति नई चेतना उत्पन्न की। उनके प्रयासों ने महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कानूनों के निर्माण को प्रेरित किया। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे [12]।

आज भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित जो कानूनी और संवैधानिक ढांचा दिखाई देता है, उसमें डॉ. अंबेडकर के विचारों और प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके द्वारा स्थापित संवैधानिक सिद्धांत आज भी महिला सशक्तिकरण के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं [13]।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों की स्थापना में डॉ. बी. आर. अंबेडकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रही है। उनके प्रयासों ने भारतीय समाज में लैंगिक समानता की मजबूत नींव रखी और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्थायी आधार प्रदान किया।

© 2026 डॉ. स्वदेश कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

तालिका 1: भारतीय संविधान में महिलाओं से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद	विषय	महत्व
अनुच्छेद 14	कानून के समक्ष समानता	सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है
अनुच्छेद 15	भेदभाव का निषेध	धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है
अनुच्छेद 16	सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर	महिलाओं को सरकारी सेवाओं में समान अवसर प्रदान करता है
अनुच्छेद 39	समान वेतन	पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है
अनुच्छेद 42	मातृत्व राहत	महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा और मातृत्व लाभ सुनिश्चित करता है

तालिका 2: भारत में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित प्रमुख संवैधानिक एवं कानूनी सुधार

वर्ष	कानून / सुधार	महिलाओं के अधिकारों पर प्रभाव
1950	भारतीय संविधान लागू	महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता के अधिकार
1955	हिंदू विवाह अधिनियम	विवाह और तलाक से संबंधित अधिकार
1956	हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम	संपत्ति में महिलाओं के अधिकार
1992	पंचायती राज संशोधन (73वां संशोधन)	स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए आरक्षण
2013	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम	कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा
2023	महिला आरक्षण अधिनियम	संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण

संदर्भ सूची

1. अंबेडकर बीआर. जाति का उन्मूलन. बॉम्बे: ठाकेर एंड कंपनी; 1945।
2. अल्तेकर एएस. हिंदू सभ्यता में महिलाओं की स्थिति. दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास; 2016।
3. शर्मा केएल. भारत में सामाजिक स्तरीकरण. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन; 2018।
4. कीर धनंजय. डॉ. अंबेडकर: जीवन और मिशन. मुंबई: पॉपुलर प्रकाशन; 2019।
5. ओमवेट गेल. अंबेडकर: एक प्रबुद्ध भारत की ओर. नई दिल्ली: पेंगुइन पब्लिशिंग; 2020।
6. ज़ेलियट एलेनोर. अछूत से दलित तक: अंबेडकर आंदोलन पर निबंध. नई दिल्ली: मनोहर प्रकाशन; 2013।
7. भारत सरकार. संविधान सभा की बहसें. नई दिल्ली: लोकसभा सचिवालय; 1949।
8. भारत सरकार. भारत का संविधान. नई दिल्ली: विधि और न्याय मंत्रालय; 1950।
9. बसु दुर्गा दास. भारत के संविधान का परिचय. नई दिल्ली: लेक्सिसनेक्सिस; 2019।
10. देबनाथ देबाशीष. हिंदू कोड बिल और महिला सशक्तिकरण. जर्नल ऑफ सोशल एंड लीगल स्टडीज. 2021;12(2):45–58।
11. थोराट सुखदेव, न्यूमैन कैथरीन. जाति द्वारा अवरुद्ध: आधुनिक भारत में आर्थिक भेदभाव. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2022।
12. पांडेय अंजलि. भारत में कानूनी सुधार और लैंगिक समानता. इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज. 2023;30(1):65–82।
13. मल्होत्रा अंजु. भारत में अंबेडकर और महिलाओं के अधिकार. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च. 2023;11(3):112–125।
14. भारत सरकार. महिला आरक्षण अधिनियम (106वाँ संविधान संशोधन). नई दिल्ली: भारत सरकार; 2023।
15. सिंह आर. भारत में संवैधानिक सुधार और लैंगिक समानता. जर्नल ऑफ इंडियन सोशल स्टडीज. 2025;14(1):55–70।

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

© 2026 डॉ. स्वदेश कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/